प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.11.23

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा मारपीट कर मोबाइल व रुपये छीनने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना गया एक मोबाइल व 1000/- रूपये बरामद

दिनांक 11.11.23 को थाना वेव सिटी पर वादी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र शुक्कन सिंह निवासी पचायतन थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर ने अभियुक्तों द्वारा वादी के साथ मारपीट कर गाड़ी में रखा मोबाइल व 12000/- रूपये छीन ले जाने के सम्बन्ध मे अभियोग पंजीकृत कराया गया। घटना के अनावरण हेतु थाना स्तर से दो टीमों का गठन किया गया ।

आज दिनांक 13.11.23 को थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण कर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तगण 1.दीपक पुत्र कंवर सैन निवासी ग्राम नायफल थाना वेव सिटी गाज़ियाबाद 2.सुमित उर्फ छंगा पुत्र बलजीत निवासी ग्राम नायफल थाना वेव सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से छीना गया एक मोबाइल फोन व 1000/- रुपये बरामद हुए। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि जब हम लोग शराब की दुकान के पास खडे थे तो एक व्यक्ति दुकान पर शराब लेने के लिये आया हमने देखा कि उसके पास काफी पैसे है तो हमारे मन में लालच आ गया था। हमारा उस व्यक्ति के साथ झगडा हो गया तो मौका पाकर हम लोग उसका मोबाइल व पैसे ले भाग गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. दीपक पुत्र कंवर सैन निवासी ग्राम नायफल थाना वेब सिटी गाज़ियाबाद उम्र 24 वर्ष,
2. सुमित उर्फ छंगा पुत्र बलजीत निवासी ग्राम नायफल थाना वेब सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष,

बरामदगी का विवरण:-

छीना गया एक मोबाइल फोन व 1000/- रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनाँक 14.11.2023 को थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त प्रदीप पुत्र हरिओम नि0 ए/बी गली न0-09 गगन विहार गड्डो थाना टीलामोड़ गाजियाबाद को भौपुरा

की तरफ, मैन वजीराबाद रोड से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गयी। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ से बताया कि मै नशे का आदि हूँ नशे की पूर्ति की लिए मे चोरी करता हूं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

प्रदीप पुत्र हरिओम नि0 ए/बी गली न0-09 गगन विहार गड्डो मे थाना टीला मोड़ गाजियाबाद।

बरामदगीः-

एक मोटर साइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस

थाना टीला मोड पुलिस द्वारा महमूदपुर हत्याकाण्ड की घटना का 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.10.23 को थाना टीला मोड़ पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महमूदपुर पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। थाना टीला मोड़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण कर पूर्व में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 14.11.2023 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त धर्मवीर पुत्र रामकला नि0 ग्राम महमूदपुर थाना टीला मोड गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ अभि0 धर्मवीर पुत्र रामकला नि0 महमूदपुर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 70 वर्ष ने पूछताछ पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि प्रमोद उर्फ लालू की हत्या की योजना मेरे सामने बनायी गयी थी। मुझे हत्या करने वाले लोगो की जमानत एवं केस मे खर्च होने वाले पैसो की जिम्मेदारी दी गयी थी। और मैने यह जिम्मेदारी स्वीकार की थी। तथा मुझे प्रमोद उर्फ लालू की हत्या की पूरी जानकारी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

धर्मवीर पुत्र रामकला नि0 ग्राम महमूदपुर थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र 70 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड पुलिस टीम

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा कैश लूट की घटना कारित करने वाले 06 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 01 लाख 60 हजार रुपये, लूट की घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल, 02 तमंचे, 04 जिन्दा कारतूस व चोरी की अन्य 02 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 06.11.23 को थाना लोनी बोर्डर पर वादी महेन्द यादव s/o राजा राम यादव निवासी K-52 . F/D.S 2nd माला विजय विहार फेस 1 थाना विजय विहार दिल्ली ने तहरीर दी कि स्कूटी व मोटर साइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी का बैग जिसमें 04 लाख 50 हजार रुपये थे छीनकर भाग गये है। थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पजींकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के माध्यम से उक्त घटना का सफल अनावरण कर दिनांक 11.11.23 को चेकिंग के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त योगेश पुत्र ओमप्रकाश नि0 गली नं0 3 अमर कालोनी पूर्वी गोकलपुर थाना ज्योति नगर दिल्ली को पुलिस मुठभेड के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से लूटे गये रुपयों में से 20 हजार रुपये तथा एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद हुआ। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान उसके 07 सह अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही थी।

आज दिनांक 14.11.23 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कैश लूट की घटना में प्रकाश में आये 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटे गये एक लाख 60 हजार रुपये, घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे, 04 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व अन्य चोरी की दो मोटर साइकिल बरामद हुयी है। आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त मन्थन कुमार उर्फ यश ने बताया कि मेरे दोस्त करन उर्फ बाबा ने मुझे सूचना दी थी कि सोमवार के दिन संतोष टिम्बर स्टोर इन्द्रापुरी पर कैश कलेक्शन के लिये एक आदमी दिल्ली से आता है एवं दुकानदारो से कई लाखो रूपये कैश कलेक्शन करके ले जाता है, यदि कैश को ले जाते समय कहीं रास्ते में उससे छीन लिये जाये तो हम लोगो का अच्छा खासा काम चल सकता है। मैने, करन उर्फ बाबा से पूछा कि तुम्हे कैसे पता लगा है तब करन ने मुझे बताया कि कुनाल नाम का लडका मेरा दोस्त है जो संतोष टिम्बर के यहाँ अपने छोटे हाथी से ग्राहको का सामान ले जाने का काम करता था तथा यह भी बताया था कि जो व्यक्ति रूपये कलेक्शन के लिये आता है व कलेक्शन हुए रूपयो को बैग में रखकर ले जाता है उसका प्रत्येक सोमवार को दो से तीन बजे दोपहर के समय संतोष टिम्बर के यहाँ आना निश्चित है। मैने अपने दोस्त योगेश को उपरोक्त बात बताई तो योगेश ने करन कापड , सचिन यादव व मयंक को बताकर बुलाया था मयंक ने अपने दोस्त अमन को बुलाया था हम सभी को उस व्यक्ति व स्कूटी के नम्बर की पहचान कुनाल व मेरे दोस्त करन उर्फ बाबा ने कराई थी। हम लोग समय समय पर रैकी करते रहते थे परन्तु पुलिस की चैकिंग के कारण मौका नही लग पाया था। दिनांक 06/11/23 को मै, योगेश, करन कापड, सचिन यादव , मयंक सक्सेना व अमन एक जगह इकट्ठे हुए थे हम लोगो ने एक जगह इकट्ठे होकर सलाह की कि आज फिर संतोष टिम्बर वाले के यहाँ दो से तीन बजे के करीब स्कूटी से कैश कलेक्शन करने वाला व्यक्ति कैश कलेक्शन के लिये आने वाला होगा आज हम लोंगो को पूरा काम कर लेना है। हम लोग पहले ही संतोष टिम्बर के पास जाकर थोडी दूरी पर रैकी करने लगे थे जिस समय वह वह व्यक्ति कैश कलेक्शन करने के बाद अपनी स्कूटी से संतोष टिम्बर स्टोर इन्द्रापुरी से पीट्ठू बैग को पीठ पर टांगकर सहारनपुर दिल्ली रोड से गोल चक्कर दिल्ली की तरफ चला तो स्कूटी पर मै, सचिन व मयंक थे जिसे सचिन चला रहा था मयंक बीच में व मै पीछे बैठा था व मोटर साइकिल स्पलैण्डर पर योगेश ,अमन व करन कापड थे जिसे अमन चला रहा

था योगेश बीच में व करन पीछे बैठा था हम लोगो ने उस व्यक्ति का पीछा करके मौका पाकर जौहरी एंक्लेव मैट्रो स्टेशन के पास ही अपनी स्कूटी व मोटर साइकिल से उतरकर योगेश व करन कापड,मयंक व मैने पिट्ठू बैग छीन लिया था तथा मौके से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता–

1.मन्थन कुमार उर्फ यश जागिंड पुत्र किरनपाल जागिंड उम्र 19 वर्ष नि0 डी 2 बी व्लाक गली नं0 09 ,30 फुटा रोड जौहरीपुर थाना गोकुलपुरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष,
2.करन कापड पुत्र पप्पू नि0 डी 133 अमर कालोनी पूर्वी गोकुलपुर थाना ज्योति नगर दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष,
3.कुनाल पुत्र नरेश नि0 म0नं0 ए /24 शान्ति नगर गेट गली नं0 01 नियर त्यागी मेडीकल स्टोर थाना लोनी वार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष,
4. मयंक सक्सेना पुत्र प्रवीन सक्सेना नि0 एच व्लाक गली नं0 08 गंगा विहार थाना गोकलपुरी दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष,
5.करन उर्फ बाबा पुत्र अशोक नि0 ओ 380 गली नं0 15 शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष,
6. सचिन यादव पुत्र महिपाल सिंह नि0 एच/ए 118 गली नं0 04 मंडोली एक्सटेंशन दिल्ली थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष,

फरार अभियुक्त-

अमन- (फरार अभियुक्त अमन की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है)

बरामदगी का विवरण-

- लूट के एक लाख 60 हजार रुपये,
- लूट की घटना में प्रयुक्त चोरी की एक मोटर साइकिल,
- चोरी की अन्य दो मोटर साइकिल,

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर डकैती का 01 तथा दिल्ली में वाहन चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा मुठभेड में 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस , लूट का एक मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट मोटर साइकिल व लूट से प्राप्त 7600/- रुपये बरामद।

थाना कौशाम्बी पर दिनांक 09.11.2023 को एक आई फोन 2 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा लूटने व पुन: दिनांक 13.11.2023 को एक वीवो मोबाइल फोन 2 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा लूटने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया।आज दिनांक 14.11.2023 को समय लगभग 04.15 बजे थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा गस्त के दौरान चेकिंग के लिए 2 संदिग्ध बाइक सवारों को आईसीआईसीआई बैंक कौशाम्बी के पास रुकने का इशारा किया तो पिछे बैठे व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर वेव सिनेमा की तरफ भाग गये। हल्का प्रभारी कौशाम्बी द्वारा जरिये आर0टी0 सेट अवगत कराया गया जिसके पश्चात थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारी वैशाली अन्य पुलिस बल की सहायता से 2/3 की पुलिया वैशाली के पास से मुठभेड के दौरान लूट की घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. अंकित कुमार पुत्र सुरेश सिंह निवासी लाला का मकान रामलीला मैदान के पास कडकड मोडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद व 2. विकास पुत्र मनोज कुमार निवासी म0न0 847 विधामन्दिर स्कूल के पास थाना लिंकरोड गाजियाबाद को एक तमंचा,एक खोखा, एक जिंदा कारतूस व लूट का एक मोबाइल फोन व लूट में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल व थाना कौशाम्बी / थाना इंदिरापुरम से लूटे मोबाइल फोन से प्राप्त 7600/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुध्द अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका-

अभियुक्तगण द्वारा दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल से राह चलते व्यक्तियों से मोबाइल व चैन लूटने की घटना करते थे व जो भी व्यक्ति इनका विरोध करता था उनको तमंचा दिखाकर लूट लेते थे।

अभियुक्तगण का विवरण –

1. अंकित कुमार पुत्र सुरेश सिंह निवासी लाला का मकान रामलीला मैदान के पास कडकड मोडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद
2. विकास पुत्र मनोज कुमार निवासी म0न0 847 विधामन्दिर स्कूल के पास थाना लिंकरोड गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण –

- एक तमंचा, एक खोखा व एक जिंदा कारतूस
- लूट का एक मोबाइल फोन वीवो कम्पनी
- लूट में प्रयुक्त बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल
- थाना कौशाम्बी/थाना इंदिरापुरम से लूटे मोबाइल फोन से प्राप्त 7600/- रुपये

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

- अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र सुरेश सिंह के विरुध्द जनपद गाजियाबाद में लूट के 03 अभियोग व 01 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त विकास पुत्र मनोज कुमार के विरुध्द जनपद गाजियाबाद में लूट के 03 अभियोग पंजीकृत है।
- **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम